तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
09/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
15/03/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजुद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस पूर्व सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी के नाम राजस्व ग्राम कंवर की नांगल पटवार हल्का स्यालोदडा तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी का सही नाम रामजीलाल पुत्र पोखर हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामस्वरूप पुत्र पोकर दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण संख्या 126 की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का सही नाम रामजीलाल पुत्र पोखर है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य गवाह रमेश पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर एवं सह खातेदार प्रसादी पुत्र रामरतन जाति गुर्जर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य गवाह रमेश पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर एवं सह खातेदार प्रसादी पुत्र रामरतन जाति गुर्जर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र पोकर अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम रामजीलाल पुत्र पोखर हैं की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण संख्या 126 की प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य [illegible] पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत [illegible]र्ड, दस्तावेजात, बतौर साक्ष्य [illegible] के आधार पर वाद [illegible] जाना न्यायोचित है। (हस्ताक्षर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर (F.T) नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कंवर की नांगल पटवार हल्का स्यालोदडा तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 52 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **रामस्वरूप पुत्र पोकर** के स्थान पर **रामजीलाल पुत्र पोखर** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

बृजेश कुमार
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner